

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या 16/2017

निर्णय दिनांक: 20.06.18

प्रभुदयाल उर्फ प्रभात पुत्र श्री बुद्धाराम जाति रैगर
निवासी मानपुरा माचेडी तह0 आमेर जिला जयपुर।



—वादी

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तह0 आमेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये आयुक्त कार्यालय जे0एल0एन मार्ग जयपुर।

— प्रतिवादीगण

दावा इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी द्वारा अलाटमेन्ट के आधार पर अभिलिखित खातेदार (जेडीए) का नाम हजफ करते हुए वादी को खातेदार घोषित करने बाबत वाद पेश किया है। अलाटमेन्ट के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उक्त सन्दर्भ में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

दस्तखत
ओहदा

Nidhi
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर
फास्ट ट्रेक आमेर मु0 जयपुर

| मुद्दाई | रुपये | पैसे | मुतदायलह | रुपये | पैसे |
|----------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 4 | — | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुकमानामा | | | बाबत इजराय हुकमानामा | | |
| मुतफरित | 2 | | मुतफरित | | |
| मोजान | | | मोजान | | |